



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1937 (श0)

(सं0 पटना 186) पटना, मंगलवार, 1 मार्च 2016

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

29 फरवरी 2016

सं० 4/ब1-102/2008-1591-गृ०आ०—बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम, 7, 2007) की धारा 55 सह पठित धारा 94 के अधीन बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड—III के परिशिष्ट 72 के क्रमांक—4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"4(i) पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय चयन पर्वद का गठन किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय चयन पर्वद के अध्यक्ष की नियुक्ति/मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।

(iii) केन्द्रीय चयन पर्वद में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) सदस्य—पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी।

(ख) एक अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि—पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी।

(ग) एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि—पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी।

(घ) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी जो आरक्षण से संबंधित नियमों/निदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) उपरोक्त कड़िका (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा किया जाएगा।

यह पर्वद लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप एवं दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी। जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति के पूर्व वे चयनित उम्मीदवारों के चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भलीभांति जांच कर सुनिश्चित कर लेंगे।"

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रंजन कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

The 29th February 2016

No. 4B1-102/2008-1591-H.(P)—In exercise of the powers conferred under section 55 read with section 94 of Bihar Police Act 2007 (Act 07, 2007) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Police Manual, 1978 with effect from the date of issue of notification.

Serial No. 4 of Appendix 72 of Bihar Police Manual, 1978, Volume-III shall be substituted by the following:-

“4(i) A Central Selection Board shall be constituted under the Chairmanship of officer of the rank of Director General of Police/Additional Director General of Police or Inspector General of Police.

- (ii) The Chairman of the Board shall be appointed/nominated by the State Government.
- (iii) The Central Selection Board shall have following members:-
 - (a) Member-An officer of the rank of Deputy Inspector General of Police.
 - (b) A representative of SC/ST- An officer of the rank of Deputy Inspector General of Police/Superintendent of Police.
 - (c) A representative of Minority Community-An officer of the rank of Deputy Inspector General of Police/Superintendent of Police.
 - (d) The Officer nominated by the Principal Secretary/Secretary of General Administration Department who shall ensure follow-up Rules/Directions for reservation.
 - (e) Members mentioned in above sub-column no. (a), (b) and (c) shall be appointed/nominated by the Director General of Police, Bihar.

This Board shall send recommendation for appointment of successful candidates in written examination and physical measurement and ability test to the Superintendent of District Police/Commandant of Battalions. Superintendent of District Police/Commandant of Battalions shall make appointment of the recommended candidates. Before appointment they shall ensure proper verification of character and identification of the selected candidates.”

By order of the Governor,
RANJAN KUMAR SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 186-571+1000-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>